[2021] 7 एस. सी. आर 17

रमेश भवन राथोड

वी.

विशाणभाई हीराभाई मकवानामाकवाना (कोली) और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 422)

20 अप्रैल, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस. 439 – जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियाँ-तथ्यों के आधार पर, पाँच हत्याओं में छह व्यक्तियों को फंसाया गया है।

मृत्यु-उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की मंजूरी-की शुद्धता-आयोजितः अपराध की प्रकृति, इसकी गंभीरता एक ऐसी परिस्थिति है जिसका जमानत देने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है-तथ्यों के आधार पर, छह अभियुक्तों को जमानत देते समय, उच्च न्यायालय ने मामले के भौतिक पहलुओं को पहचानने में विफल रहने की गंभीर गलती की, जिससे उच्च न्यायालय के आदेशों को अपराध के प्रति संवेदनशील बना दिया गया। विकृति के आधार पर हमला-उच्च न्यायालय अपराधों की गंभीरता और गंभीरता को देखने में विफल रहा-प्राथमिकी में विज्ञापन दर्ज किए गए

घटना के दौरान सूचना देने वाले के पक्ष में पांच लोगों की हत्या, जिसके परिणामस्वरूप दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था-प्राथमिकी विशेष रूप से आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति को संदर्भित करती है और वे सभी हथियारों के साथ अपराध स्थल पर आए थे-क्रॉस प्राथमिकी का सादा अध्ययन अभियुक्त की उपस्थिति और उनके कब्जे में हथियारों के साथ सूचना देने वाले के पक्ष पर हमला करने की उनकी योजना के निष्पादन दोनों को इंगित करता है-उच्च न्यायालय ने क्रॉस प्राथमिकी और इसकी सामग्री के निहितार्थ की अनदेखी की-इस प्रकार, अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत देने का आदेश पारित करने में विफल रहा

कानून के तहत इकट्ठा करें, अलग रखें।

एस. 439 - जमानत-समानता के सिद्धांत को लागू करने का अनुदान

आयोजित किया गयाः समानता के पहलू को तय करने में, अभियुक्त से जुड़ी भूमिका, घटना के संबंध में उनकी स्थिति और पीड़ितों के लिए अत्यधिक महत्व है-केवल यह देखना कि एक अन्य अभियुक्त जिसे जमानत दी गई थी, वह समान हथियार से लैस था, पर्याप्त नहीं है, लेकिन प्रत्येक अभियुक्त की व्यक्तिगत भूमिका पर विचार किया जाना चाहिए।

एस. 439 - कारणों की रिकॉर्डिंग के तहत जमानत की मंजूरी-आयोजितः यू/एस जमानत का अनुदान। 439 न्यायिक अभ्यास से जुड़ा मामला है

विवेकाधिकार-जमानत देने या अस्वीकार करने में न्यायिक विवेकाधिकार नहीं है असंरचित-कारणों को दर्ज करने का कर्तव्य एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है जो यह सुनिश्चित करता है कि अदालत को सौंपे गए विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाए-न्यायिक आदेश में कारणों को दर्ज करना यह सुनिश्चित करता है कि आदेश में अंतर्निहित विचार प्रक्रिया जांच के अधीन है और यह कि यह तर्क और न्याय के वस्तुनिष्ठ मानकों को पूरा करता है।

एस. 439 – जमानत-उच्च न्यायालय द्वारा अनुदान-न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश जिसमें कहा गया है कि संबंधित अभियुक्त को जमानत देने का आदेश

किसी अन्य मामले में समानता के आधार पर जमानत का दावा करने के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा-की शुद्धता-आयोजितः कहा गया अवलोकन अनुचित और गलत है-क्या संबंधित अभियुक्त को जमानत देने के आदेश के आधार पर किसी अन्य अभियुक्त द्वारा समानता का दावा किया जा सकता है, एकल न्यायाधीश द्वारा पूर्व निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था जो केवल संबंधित अभियुक्त को जमानत देने के आवेदन पर विचार कर रहे थे-क्या समानता के आधार पर जमानत देने का आदेश भविष्य के निर्णय के लिए एक मामला है यदि और जब अभियुक्त की ओर से समानता के आधार पर जमानत आवेदन दायर किया जाता है।

एस. 439 – जमानत-उच्च न्यायालय द्वारा अनुदान-आदेशों के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ कि पक्षों के वकील "आगे के तर्कपूर्ण आदेश के लिए दबाव नहीं डालते हैं"-की शुद्धता-आयोजितः उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को अस्वीकृत किया जाता है-पक्षों की सहमति न्यायिक विवेक को लागू करने के उच्च न्यायालय के कर्तव्य को अस्वीकार नहीं कर सकता है और उसके कारणों को इंगित नहीं कर सकता है कि उसने या तो जमानत क्यों दी है या अस्वीकार कर दिया है-आवेदन के परिणाम का एक ओर अभियुक्त की स्वतंत्रता के साथ-साथ दूसरी ओर आपराधिक न्याय के उचित प्रवर्तन में सार्वजनिक हित पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 मामले का पहला पहलू जो चेहरे पर घूरता है, वह है उच्च न्यायालय के फैसले में एकमात्र अनुपस्थिति

अपराध की प्रकृति और गंभीरता। 9 मई 2020 को हुई इस घटना में पाँच लोगों की हत्या कर दी गई थी। की प्रकृति

अपराध एक ऐसी परिस्थिति है जिसका एक महत्वपूर्ण संबंध है

जमानत की मंजूरी। अपराध की गंभीर प्रकृति के बारे में कोई जागरूकता या विस्तार के अभाव में उच्च न्यायालय के आदेश स्पष्ट हैं। विकृति इस बात में निहित है कि उच्च न्यायालय एक महत्वपूर्ण परिस्थिति पर विचार करने में विफल रहा है जिसका असर रमेश भवन राठोड v पर पड़ता है।

विशाणभाई हीराभाई मकवाना मकवाना (कोली)

क्या जमानत दी जानी चाहिए। उच्च द्वारा पारित आदेश

कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता और दंड की गंभीरता से अनजान और निर्दोष दृढ़ विश्वास। [पैरा 20,22] [36-एफ-एच; 37-ए; 38-जी-एच; 39-ए]

राम गोविंद उपाध्याय बनाम। सुदर्शन सिंह (2002) 3 एससीसी 598: [2002] 2 एससीआर 526; प्रशांत कुमार सरकार बनाम। आशीष चटर्जी (2010) 14 एससीसी 496 [2010] 12

एस. सी. आर. 1165-संदर्भित

1.2 उच्च न्यायालय ने अपने दो आदेशों द्वारा ए-10 और ए-15 को जमानत दे दी। ए-13 के साथ समानता मांगी गई थी, जिसे इस आधार पर जमानत दी गई थी (जैसा कि उच्च न्यायालय ने दर्ज किया था) कि उसे "छड़ी (एस. आई. सी.) से लैस होने की समान भूमिका सौंपी गई थी।" पुनः ए-16 को इस आधार पर जमानत दी गई कि वह लकड़ी की छड़ी से लैस था और इस आधार पर कि ए-10, ए-15 और ए-13 जो लाठी से लैस थे, उन्हें जमानत दी गई थी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से गलत समझा समानता का केंद्रीय पहलू क्या है। जमानत देते समय समानता को अभियुक्त की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल यह देखना कि एक अन्य आरोपी जिसे जमानत दी गई थी, उसके पास इसी तरह के हथियार थे, यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि समानता के आधार पर जमानत देने का मामला स्थापित किया गया है या नहीं। समानता के पहलू को तय करने में, अभियुक्त से जुड़ी भूमिका, घटना के संबंध में उनकी स्थिति और पीड़ितों के लिए सर्वोच्च है

महत्व। उच्च न्यायालय एक सरल मूल्यांकन पर समानता के आधार पर आगे बढ़ा, जो कानून के तहत पारित नहीं हो सकता है। [पैरा 23] [39-डी-एच]

नीरू यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 16 एस. सी. सी. 508: [2014]

12 एस. सी. आर. 453 को संदर्भित किया गया

सूचना देने वाले का 3 जून 2020 का बाद का बयान, 9 मई 2020 को हुई घटना की उत्पत्ति और विवरण एफ. आई. आर. में विस्तार से बताया गया है कि इसमें काफी बदलाव आया है। [पैरा

26] [40 - जी-एच] [2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.4 छह अभियुक्तों को जमानत देते हुए, उच्च न्यायालय ने

उच्च न्यायालय के आदेशों को विकृति के आधार पर हमले के लिए असुरक्षित बनाते हुए, मामले के भौतिक पहलुओं को पहचानने में विफल रहकर एक गंभीर गलती की। पहली परिस्थिति जिस पर उच्च न्यायालय को विचार करना चाहिए था

लेकिन अपराधों की गंभीरता और गंभीरता को कम कर दिया गया है। 9 मई 2020 को दर्ज की गई एफ़. आई. आर. में घटना के दौरान मुखबिर की ओर से पाँच लोगों की हत्या के बारे में बताया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अपराध हुए हैं। दंड संहिता की धारा 34 के तहत धारा 302,143,144,147,148,149,341,384,120 बी, 506 (2) आर/डब्ल्यू के तहत दंडनीय आरोप लगाए गए थे। यह शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए, 27 और 29 और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के आह्वान के अलावा है। एफ़. आई. आर. विशेष रूप से अभियुक्त की उपस्थिति को संदर्भित करती है।

ए-6, ए-13, ए-16, ए-15, ए-10 और ए-17। इसमें कहा गया है कि सभी आरोपी पिस्तौल, धारिया और अन्य सामान के साथ अपराध स्थल पर आए थे। चाकू। ए-6 और दो अन्य ने अपनी राइफलों से गोलीबारी की थी। इनमें से कुछ अभियुक्तों-ए-6, ए-13, ए-16, ए-15, ए-10 और ए-17 पर सिर और शरीर पर धारियों और लाठियों से हमला करने का आरोप है।

पीड़ितों से। सभी को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। [पैरा 27] [41-ए-सी; डी-एफ]

1.5 9 मई 2020 को मुखबिर द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के चार दिन बाद, ए-6 द्वारा एक क्रॉस प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस एफ़. आई. आर. में भूमि को लेकर पहले से मौजूद विवाद और 7 मई 2020 को हुई एक घटना का वर्णन है। क्रॉस एफ़. आई. आर. को पढ़ने से पता चलता है कि अभियुक्त की ओर से मृतक पर हमला करने का इरादा; जिस तरह से मृतक व्यक्तियों पर हमला करके उनकी पूर्व-नियोजित योजना को हासिल करने की कोशिश की गई थी। क्रॉस एफ. आई. आर. की सामग्री के साथ, जैसा कि वे खड़े हैं, किसी भी न्यायिक दिमाग के लिए, जमानत देने के आवेदनों पर निर्णय लेते समय, घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति, अभियुक्त के हथियारों से लैस होने और उन पर हमला करने के उनके इरादे और वास्तविक घटना, जिसके परिणामस्वरूप पाँच हत्याएं हुईं, को छिपाना असंभव था। [पारस 28-30] [41-F-G; 42-C-D; E-G]

1.6 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है

अभिलेख पर पाँच मृत व्यक्तियों में से प्रत्येक को लगी शारीरिक चोटों की व्यापक प्रकृति का संकेत मिलता है। यह है।

यह सच है कि एफ. आई. आर. में यह आरोप लगाया गया था कि मृतकों पर गोली चलाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप वे जमीन पर गिर गए, जबकि, रामेश भवन रथ v.

विशाणभाई हीराभाई मकवाना मकवाना (कोली)

बाद के बयान में, यह कहा गया है कि चोटें धारियों और डंडों के कारण लगी थीं। गोलियों के घावों के परिणामस्वरूप मौतें हुईं या अन्यथा इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है कि क्या जमानत देने का मामला एक बार क्रॉस एफ. आई. आर. के एक सादे पढ़ने के बाद आरोपी की उपस्थिति और सूचना देने वाले के पक्ष पर हमला करने की उनकी योजना के निष्पादन दोनों का संकेत देता है जो हथियार आरोपी के पास थे। उच्च न्यायालय को अपने पहले आदेश में इस आधार पर जमानत देने के लिए राजी किया गया था कि घटना का विवरण जैसा कि वे सूचना देने वाले के बाद के बयान में दिखाई दिया था एफ. आई. आर. से भिन्न हैं। ये मुकदमे के मामले हैं। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से क्रॉस एफ़. आई. आर. और बुनियादी मुद्दे पर एफ़. आई. आर. की सामग्री के निहितार्थ की अनदेखी की है।

क्या जमानत दी जानी चाहिए। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त के पक्ष में महिलाओं की उपस्थिति एक तथ्य है जिसका उल्लेख क्रॉस एफ. आई. आर. में ही किया गया है। [पैरा 31] [42-जी-एच; 43-ए-डी]

1.7 भौतिक परिस्थितियों का प्रचार करने में उच्च न्यायालय की स्पष्ट विफलता रही है, विशेष रूप से घटना जैसा कि क्रॉस एफ. आई. आर. में दिखाई देती है। इन सबसे ऊपर, उच्च न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और गंभीरता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप पांच हत्याएं हुई हैं। यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा मामला है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में स्पष्ट विकृति थी। [पैरा 32] [43-ई-एफ]

1.8 ए-13 को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में, लोक अभियोजक के प्रस्तुत करने का एक संदर्भ था

पिछली एफ. आई. आर. एस. से संबंधित ए-13 की आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए

उनके खिलाफ 2017 और 2019 में मामला दर्ज किया गया था। ए-13 की आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित इस पहलू पर एकल न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों में विचार नहीं किया गया था। इसके अलावा, जिस आधार पर ए-13 को जमानत दी गई थी, वह यह है कि 3 जून 2020 के बाद के बयान में, जो स्पष्ट कार्य एफ. आई. आर. में बताया गया था, वह गायब पाया गया। यह कहने के बाद, न्यायाधीश ने कहा कि आदेश को किसी अन्य मामले में समानता के आधार पर जमानत का दावा करने के लिए एक पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जाएगा। एकल न्यायाधीश की उक्त टिप्पणी अस्वीकृत है। क्या आदेश के आधार पर किसी अन्य अभियुक्त द्वारा समानता का दावा किया जा सकता है

ए-13 को जमानत देने का निर्णय एकल न्यायाधीश द्वारा पूर्व निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था जो केवल ए-13 को जमानत देने के आवेदन पर विचार कर रहा था। यह अवलोकन कि [2021] 7 एस. सी. आर. को जमानत की मंजूरी।

ए-13 को किसी अन्य व्यक्ति के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा।

जो समानता के आधार पर एफ. आई. आर. में अभियुक्त है, वह न्यायिक रूप से उपयुक्त तर्क नहीं है। क्या जमानत देने का आदेश समानता के आधार पर एक मिसाल है, यह भविष्य का मामला है।

यदि और कब किसी अन्य अभियुक्त की ओर से समानता के आधार पर जमानत के लिए आवेदन दायर किया जाता है तो निर्णय। इस स्थिति में कि

इसके बाद ऐसे मामले में समानता का दावा किया जाता है, यह उस अदालत के लिए है जिसके समक्ष समानता का दावा किया जाता है कि क्या समानता के कारणों पर जमानत देने का मामला बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, एकल न्यायाधीश की टिप्पणियां अनुचित और गलत हैं। इसके बाद ए-10 और ए-15 को समानता के आधार पर जमानत दी गई, जैसा कि ए-13 को जमानत देने के आदेश के साथ दावा किया गया था। एकल न्यायाधीश ने कहा कि अतिरिक्त लोक अभियोजक ने ऐसा नहीं किया था किसी भी प्रकार का भेद किया। तत्पश्चात, समानता वह आधार था जिसके आधार पर ए-16 के मामले में जमानत मांगी गई थी। जमानत देते समय एकल न्यायाधीश ने कहा कि पक्षों ने आगे के तर्कपूर्ण आदेशों के लिए दबाव नहीं डाला। ए-17 को जमानत देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश में भी इसी तरह का अवलोकन निहित है। ए-6 को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में फिर से वही कथन है। वर्तमान मामले में आदेशों के क्रम में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को दर्ज करते हुए कि पक्षों के वकील "आगे के तर्कपूर्ण आदेश के लिए दबाव नहीं डालते हैं", अस्वीकृत है। [पारस 33-34] [43-F-G, H; 4-A-D, E-H; 45-A]

एश मोहम्मद बनाम। शिवराज सिंह (2012) 9 एस. सी. सी. 446:

[2012] 7 एससीआर 584-संदर्भित

1.9 जमानत देना एक ऐसा मामला है जो अभियुक्त की स्वतंत्रता, राज्य के हित और अपराध के पीड़ितों को प्रभावित करता है।

आपराधिक न्याय के उचित प्रशासन में। यह एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि यह निर्धारित करने में कि क्या जमानत दी जानी चाहिए, उच्च न्यायालय या उस मामले के लिए, सत्र न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत एक आवेदन का निर्णय गुण-दोष के आधार पर तथ्यों के विस्तृत मूल्यांकन पर शुरू नहीं करेगा क्योंकि एक आपराधिक मुकदमा अभी भी होना बाकी है। जमानत पर निर्णय लेते समय ये टिप्पणियां मुकदमे के परिणाम पर भी बाध्यकारी नहीं होंगी। लेकिन जमानत देने वाला न्यायालय जमानत देने या न देने का निर्णय लेने के उद्देश्य से न्यायिक दिमाग को लागू करने और कारणों को, चाहे वे संक्षिप्त हों, दर्ज करने के अपने कर्तव्य से इनकार नहीं कर सकता है। की सहमति

पक्षकार उच्च न्यायालय के अपने रामेश भवन रथ v को इंगित करने के कर्तव्य को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं।

विशाणभाई हीराभाई मकवाना मकवाना (कोली)

यह कारण है कि उसने या तो जमानत क्यों दी या अस्वीकार कर दिया। इसके लिए यह कारण यह है कि आवेदन के परिणाम का एक ओर अभियुक्त की स्वतंत्रता के साथ-साथ दूसरी ओर आपराधिक न्याय के उचित प्रवर्तन में सार्वजनिक हित पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पीड़ितों और उनके परिवारों के अधिकार भी दांव पर हैं। ये दो अलग-अलग पक्षों के निजी अधिकारों से जुड़े मामले नहीं हैं, जैसा कि दीवानी कार्यवाही में होता है। उचित प्रवर्तन

आपराधिक कानून जनहित का विषय है। इस प्रकार, जिस तरह से मामलों के वर्तमान बैच में आदेशों का एक क्रम दर्ज किया गया है कि "संबंधित पक्षों के वकील आगे के तर्कपूर्ण आदेश के लिए दबाव नहीं डालते हैं", उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। अगर यह एक

पर्याप्त कारणों को दर्ज नहीं करने के लिए सौम्योक्ति, इस तरह का सूत्र आदेश को न्यायिक जांच से नहीं बचा सकता है। [पैरा 35]

[45 - ए-एफ]

1.10 सी. आर. पी. सी. की धारा 439 के तहत जमानत देना न्यायिक विवेक का प्रयोग करने वाला मामला है। न्यायिक विवेकाधिकार

किसी अन्य विवेकाधिकार के मामले में जमानत देना या अस्वीकार करना, जो एक न्यायिक संस्थान के रूप में अदालत में निहित है, असंरचित नहीं है। कारणों को दर्ज करने का कर्तव्य एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है जो यह सुनिश्चित करता है कि अदालत को सौंपे गए विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाए। न्यायिक आदेश में कारणों की रिकॉर्डिंग यह सुनिश्चित करती है कि आदेश में अंतर्निहित विचार प्रक्रिया जांच के अधीन है और

यह तर्क और न्याय के वस्तुनिष्ठ मानकों को पूरा करता है। [पैरा 36] [45-एफ-जी]

चमन लाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2004) 7 एस. सी. सी. 525: [2004]

3 पूरक। एससीआर 584-संदर्भित

उसने अभिलेख की सामग्री का अवलोकन किया था और मामले के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति, अपराधों की गंभीरता और आरोपी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए "सबूतों पर विस्तार से चर्चा किए बिना" जमानत दे रहा था। वास्तव में परिस्थितियों पर कोई चर्चा या विश्लेषण नहीं हुआ था। एकल न्यायाधीश के आदेश में यह एकमात्र सजा एक ऐसे न्यायालय को छोड़ देती है जिसके समक्ष जमानत देने के आदेश को चुनौती दी जाती है, पूरी तरह से उन विचारों पर मार्गदर्शन के बिना जो जमानत देने में उच्च न्यायालय के साथ वजन करते हैं। यह तय करने में कि जमानत दी जाए या नहीं, उच्च न्यायालय है उस स्तर पर नहीं जहां यह अपराध पर निर्णय देता है। इसका विश्लेषण किया जाना है [2021] 7 एस. सी. आर.

आपराधिक मुकदमे के दौरान जहां सबूत दिया गया है

रिकॉर्ड किया गया। लेकिन निश्चित रूप से, उच्च न्यायालय के आदेश में कुछ कारणों का संकेत होना चाहिए कि न्यायालय ने या तो जमानत क्यों दी या अस्वीकार कर दिया। तत्काल मामले में सत्र न्यायाधीशों ने अंतिम निष्कर्ष के लिए अपने कारणों का संकेत दिया है। दुर्भाग्यवश उच्च न्यायालय के आदेश में इसका पालन नहीं किया गया। ए-6 के मामले में उच्च न्यायालय को रिमांड का आदेश देने का अब कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष जमानत के सवाल पर पूरी तरह से बहस की गई है। इसके अलावा, ए-6 के मामले पर उन सभी मामलों के साथ विचार किया गया है जिनमें ए-13 के मामले में शुरू में जमानत दी गई है, जिसका पालन अन्य अभियुक्तों के मामले में समानता के आधार पर किया गया है। [पारस 37-38] [46-C-H; 47-G-H; 48-A-B]

सोनू वी. 2021 की सोनू यादव सी. आर. एल. अपील सं. 377,

5. 4 पर निर्णय लिया। 2021 - पर भरोसा किया।

1.12 प्रतिवादी-अभियुक्त को जमानत देने का आदेश

ए-6, ए-10, ए-13, ए-15, ए-16 और ए-17 स्पष्ट विकृति से पीड़ित हैं। उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। सभी आरोपी

उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 41-42] [51-सी-डी, एफ-जी]

संजय चंद्र बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो 2012

(1) एस. सी. सी. 40; महिपाल बनाम। राजेश कुमार उपनाम पोलिया (2020)

2 एस. सी. सी. 118; प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2020] 11

एस. सी. सी. 648; राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह

(2002) 3 एससीसी 598: [2002] 2 एस. सी. आर. 526; प्रशांत कुमार

सरकार बनाम. आशीष चटर्जी (2010) 14 एससीसी 496: [2010] 12

एस. सी. आर. 1165; केरल राज्य बनाम। महेश आपराधिक अपील

2021 का संख्या 343 19.03.2021 पर तय किया गया-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

[2011] 13 एससीआर 309

संदर्भित किया गया है

पैरा

9,18

[2002] 2 एससीआर 526

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

[2010] 12 एससीआर 1165

पैरा

21

संदर्भित किया गया है

[2014] 12 एससीआर 453

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[2012] 7 एससीआर 584

संदर्भित किया गया है

पैरा

33

[2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 584 को संदर्भित किया गया

पैरा 36 रामेश भवन राथोड v. विशाणभाई हीराभाई मकवाना मकवाना (कोली)

[2012] 1 एससीसी 40

संदर्भित किया गया है

पैरा

39

(2020) 2 एससीसी 118

पैरा

39

संदर्भित किया गया है

(2020) 11 एस. सी. सी. 648

संदर्भित किया गया है

पैरा

39

[2002] 2 एससीआर 526

पैरा

40

संदर्भित किया गया है

[2010] 12 एससीआर 1165

संदर्भित किया गया है

पैरा

40

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का सं. 422

उच्च न्यायालय के 21.12.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आर/क्रिमिनल मिस्क में अहमदाबाद में गुजरात का। 2020 का आवेदन संख्या 19382।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 423 , 426 , 424-425 और 2021 का 427

J.S.Attri, वरिष्ठ, अधिवक्ता। , निखिल गोयल, सुश्री नवीन गोयल, दुष्यंत सरना,

विनय मैथ्यू, अनिरुद्ध पी. मयी, हरेश रायचुरा, सुश्री सरोज रायचुरा, कल्प रायचुरा, राम भदौरिया, पूर्व जितेंद्र मलकान, सुश्री धरिता पूर्विश मलकान, जितेंद्र एम. मलकान, सुश्री दीपा गोरसिया, आलोक कुमार, सुश्री नेहा अंबाष्ठा, सुश्री नंदिनी छाबड़ा, सुश्री भावना सरकार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. पाँच अपीलों का यह समूह उच्च न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न होता है

आपराधिक संहिता की धारा 439 के तहत जमानत देने वाला गुजरात प्रक्रिया 1973 1, उन छह व्यक्तियों के लिए जिन्हें पाँच हत्याओं में फंसाया गया है।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफ. आई. आर".) सी. आर. नं.

11993005200314 9 मई 2020 को पुलिस स्टेशन आडेसर, जिला पूर्वी कच्छ-गांधीधाम में भारतीय दंड संहिता की धारा 302,143,144,147,148,149,341,384,120 बी, 506 (2) और 34, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए, 27 और 29 और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराधों के लिए दर्ज किया गया था। अपीलार्थी-रमेश भवन राठौड़-वह मुखबिर है जिसके बयान पर, एक घटना के संबंध में 1930 बजे एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी जो 1300 बजे हुई थी। यह घटना थाना से 20 किलोमीटर दूर हमीरपुर गांव में हुई। वह घटना जिसके कारण पाँच लोगों को कमीशन दिया गया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हत्याओं की उत्पत्ति भूमि विवाद में हुई थी। मुखबिर ने आरोप लगाया कि वह और उसका भाई पेठाभाई 6 बजे अपने खेत गए थेः 00 मैं। दोपहर 1 बजे,

मुखबिर, पेठाभाई और उनके बहनोई अखाभाई पाँच अन्य व्यक्तियों के साथ एक स्कार्पियो वाहन में घर लौट रहे थे। जब वाहन लाखा हीरा कोली और कांजी बिजल कोली के खेत से गुजरने वाली पक्की सड़क पर पहुंचा, तो ये दोनों व्यक्ति लाखा हीरा कोली के साथ बाहर आ गए। लाखा कोली ने अपने ट्रैक्टर को स्कार्पियो के सामने वाले हिस्से पर टक्कर मार दी

वाहन। कांजी कोली ने अपना ट्रैक्टर स्कॉर्पियो के पीछे खड़ा किया, जिसके पीछे एक और सूमो वाहन खड़ा था। स्कार्पियो और उसमें रहने वालों को रास्ते से हटा दिया गया था। जैसे ही मुखबिर और अन्य लोगों ने घटनास्थल से भागने का प्रयास किया, उसने हत्या की घटना को देखा जो उसने देखी

इसका वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया हैः

" .....उस समय मैंने देखा कि धामा घेला कोली, देवेंद्र सिंह उर्फ लालूभा घेलुभा वाघेला, विशन हीरा कोली, भरत मामू कोली, दिलीप मामू कोली, रामशी हीरा कोली, प्रवीण हीरा कोली, भागुभा हसुभा वाघेला, मोहनसंग उमेदासंग वाघेला और वनराज करसन कोली और दिनेश करसन कोली सभी पास के कांटेदार बाड़ से पिस्तौल, धारिया, चाकू लेकर आते हैं, जिसमें धामा गेला कोली और देवेंद्र सिंह उर्फ लालुभा गेलुभा वाघेला और विशन हीरा कोली होते हैं। आखाभाई जेशांगभाई उमत मेरे भाई पेठाभाई भवनभाई राठौड़ और

अमारा जेशांग उमत और लालजी अखाभाई उमत और वेला पंचाभाई उमत गोली लगने और जमीन पर गिरने के कारण घायल हो गए और उस समय लाखा हीरा कोली की पत्नी, कांजी बिजल कोली की पत्नी लखमान बिजल कोली

धामा घेला कोली की पत्नी और विशन हीरा कोली की पत्नी

वहाँ भी आते हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, और विसान हीरा कोफी अखाभाई से बात करते हैं कि आप मेरे पिता को क्यों संवार रहे हैं और

दादा की भूमि जो हमारी भूमि है, हमने पहले भी कहा था कि इस भूमि पर आप खेती नहीं करते हैं, इसलिए आज आपका जीवन समाप्त हो गया है। यह बात विसान हीरा कोली और उसके बाद दिलीप मामू कोली, रामशी हीरा कोफी, भघुभा हसुभा वाघेला मोहनसंग उम्मेदसंग वाघेला और प्रभु घेला कोली ने अपने हाथों में धारिया और हाथों में प्रवीण हीरा कोली, सिद्धराजसिंह भघुभा वाघेला, खेता के साथ कही।

परबत कोली, वनराज करसन कोली और दिनेश करसन कोफी ने लाठी (लकड़ी की छड़ी) से और सभी ने मिलकर अखाभाई यशांगभाई उमत के सिर और शरीर पर धारिया और लाठी से अंधाधुंध हमला किया।

और मेरे भाई पेठाभाई भवनभाई राठौड़ और अमारा जेशांग उमत और लालजी अखाभाई उमत और वेला पंचभाई उमत और रमेश भवन राथोड बनाम।

विशाणभाई हीराभाई मकवाना मकवाना (कोली) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उन लोगों पर जब हमला किया गया तो सभी पांचों "बचाओ बचाओ" के नारे लगा रहे थे, लेकिन वे लोग बड़ी भीड़ में हैं इसलिए मैं पास नहीं जा सकता इसलिए मैं उन पांचों को नहीं बचा सकता क्योंकि वे मुझे मार देंगे इसलिए मैं भाग गया।

दूर जाओ और मैं अपने गाँव चला जाऊँगा। "

3. इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई। बाईस अभियुक्तों में विशन हीरा कोली (ए-6), प्रवीण हीरा कोली (ए) शामिल हैं।

10) , सिद्धधराजसिंह भागुभा वाघेला (ए-13), खेता पर्बत कोली (ए-15), वनराज दर्शन कोली (ए-16) और दिनेश दर्शन अखियानी (कोली) (ए-17)। पोस्टमार्टम 10 मई 2020 को किया गया था। अपराध स्थल पर अगले दिन, यानी 10 मई 2020 को एक पंचनामा आयोजित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ, दो देशी बंदूकें, दो देशी नकली बंदूकें, चार दरिया और एक लकड़ी बरामद हुई।

छड़ी। 4. 13 मई 2020 को, विशन हीरा मकवाना (कोली) के कहने पर पुलिस में प्राथमिकी संख्या 11993005200315 दर्ज की गई थी

स्टेशन आडेसर। क्रॉस एफ़. आई. आर. में सूचना देने वाला गाँव हमीरपार का मूल निवासी होने का दावा करता है और वर्तमान में गाँव अंजार में रह रहा है। एफ़. आई. आर. में कहा गया है कि 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन घोषित होने के बाद, सूचना देने वाला अंजार से गाँव हमीरपार जाने के लिए निकल गया था। लगभग पंद्रह साल पहले कुछ कृषि भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई थी, जिसने बाद में इसे खेती के लिए आखाभाई को दे दिया। आखाभाई मना कर रहे थे

पुलिस द्वारा ले जाया गया। इस मुद्दे को समुदाय के व्यक्तियों के हस्तक्षेप पर सुलझा लिया गया था और कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। 9 मई 2020 को क्रॉस एफ. आई. आर. के अनुसार, सूचना देने वाले विशन ने मोटर साइकिल को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने भतीजे को आखाभाई के साथ पुलिस स्टेशन भेजा। क्रॉस एफ़. आई. आर. 9 मई 2020 को हुई घटना के विशन के संस्करण को निम्नलिखित शब्दों में बताती हैः

" .....हमने अकाभाई को मारने का फैसला किया है इसलिए मैं खुद अपने साथ

भाई लखभाई हीरा कोली, दिनेश दर्शन कोली और लालूभा घेलुभा वाघेला रिट्ज कार में बैठे और भीमसर की ओर बढ़े जब मैं उक्त कार चला रहा था और मैंने तथाकथित कार को आखाभाई से टक्कर मारने की कोशिश की और उन्हें मारने की कोशिश की। लेकिन अखाभाई पास ही भाग गए और हम अपने खेत (वाडी) में आए, दोपहर के लगभग 1 बजे के बाद अखाभाई ने मुझे मेरे मोबाइल फोन पर फोन किया और कहा कि आपने लालूभा की कार से टकराने की कोशिश क्यों की है। मैंने झूठा जवाब दिया है कि मैं अपने मैदान (वाडी) पर बैठा हूं जिसमें मैं शामिल नहीं हूं।

अखाभाई ने मुझसे कहा कि हम आपके पास झगड़ा करने के लिए मैदान (वाडी) आ रहे हैं, उस समय मैं खुद अपने भाई लाखा हीरा कोली, रामसी कोली, प्रवीण, धामा गेला कोली के साथ झगड़ा करने के लिए तैयार हूँ।

देवेंद्रसिंह, इलियास लालुभा वाघेला, भरत मामू कोली, दिलीप मामू कोली, भागुभा हंसुभा वाघेला, और उनके बेटे मोनसांग उमेदसांग वाघेला, प्रभु गेला कोली, खेता परबर कोली, वनराज दर्शन कोली, दिनेश दर्शन कोली मौजूद थे। मैंने उन्हें यह तथ्य बताया है कि जेसेंग उमत अपने आदमियों के साथ हमारे साथ झगड़ा करने के लिए हमारी वाड़ी में आ रहे हैं इसलिए हम सभी हथियारों से लैस होकर अपने खेत की सीमा के पास आ गए और हम सभी झगड़ने के लिए तैयार हो गए और लखमन बिजल के खेत के पास बैठ गए।

जिस समय सफेद रंग की जीप आई, लगभग वाड़ी के पास रमेश भवन राठौड़ दरिया के साथ जीप के लिए नीचे आए।

हाथ में अखाभाई बंदूक लेकर नीचे आए, अखाभाई ने मुझे गाली दी "मुझे बचाने में गर्व है" उस समय रमेश भवन राठौड़ को धारिया से मारा गया तो मैंने खुद को बचाने की कोशिश की और मैंने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया तो धारिया से मेरे बाएं हाथ में चोट लगी, मैं धरती पर गिर गया और मेरे बाएं हाथ से खून निकल रहा था, जब अखाभाई ने मेरे भाई रामसी पर बंदूक चलाई तो-उस समय आखा बेटा लालजी-अमरा जेसेंग।

उमत-वेला पंच उमत-पेठा भवन राठौड़-अखाभाई का छोटा बेटा धर्मेंद्र-पापू गाभा उमत, जीप से नीचे आया और मुझ पर हमला करने की कोशिश की, उस समय मेरे भाई प्रवीण धामा गेला कोली, देवेंद्रसिंह, इलियास लालुभा वाघेला, भरत मामू कोली, दिलीप मामू कोली, भागुभा हंसुभा वाघेला, और उनके बेटे मोहनसंग उमेदसांग वाघेला, प्रभु गेला कोली, खेता परबत कोली, वनराज करसन कोली, दिनेश करसन कोली हथियार लेकर आए थे। मेरे भाई लखभाई ने उस जीप को ट्रैक्टर से टक्कर मार दी, उस समय मेरे एक और चचेरे भाई कांजी बिजल दूसरे ट्रैक्टर के साथ आए और लखमान बिजल सूमो जीप के साथ आए और अखाभाई की जीप से टकरा गए। उस समय हमारी औरतें झगड़ते हुए नीचे आ गईं रमेश भवन राठौड़-पापू गाभा उमत-अखाभाई बेटा धर्मेंद्र भाग गए, उस समय वहाँ आए हमारे लोगों ने अखाभाई-वेलाभाई-पेठाभाई-अमरभाई और लालजी पर धारिया और लट्ठियों से हमला किया।

इस झगड़े में मैं घायल हो गया हूँ। '"

5. विशन को 18 मई 2020 को गिरफ्तार किया गया था। 9 मई 2020 की मूल प्राथमिकी में फॉर्मेट का एक और बयान 3 2020 को दर्ज किया गया था। जाँच के बाद, आरोप पत्र रमेश भवन राथोड बनाम द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

विशाणभाई हीराभाई मकवाना मकवाना (कोली) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विशन और बाईस सह-अभियुक्तों के खिलाफ जाँच अधिकारी। 31 अगस्त 2020 को, चिकित्सा आधार पर विशन द्वारा दायर अंतरिम जमानत के लिए एक आवेदन को सत्र न्यायाधीश, भचाऊ, कच्छ द्वारा इस तथ्य पर ध्यान देते हुए खारिज कर दिया गया था कि आरोपी ने जमानत प्राप्त करने के उद्देश्य से नकली दस्तावेज पेश किए थे। धारा के तहत नियमित जमानत की मांग करने वाला आवेदन

439 4 दिसंबर 2020 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भचाऊ द्वारा सी. आर. पी. सी. को खारिज कर दिया गया था।

6. बाईस अभियुक्तों में से, जिनके नाम आरोप में हैं

इसके अलावा, ये कार्यवाहियां जमानत के लिए उन आवेदनों से उत्पन्न होती हैं जो छह व्यक्तियों की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए थे, अर्थात्:

अभियुक्त नं. 6

विशन हीरा कोली

अभियुक्त नं. 10

प्रवीण हीरा कोली

सिद्धधराजसिंह भागुभा वाघेला

अभियुक्त नं. 13

खेता पर्बत कोली

अभियुक्त नं. 15

वनराज दर्शन कोली

अभियुक्त नं. 16

दिनेश दर्शन अखियानी (कोली)

अभियुक्त नं. 17

7. उपरोक्त को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश

व्यक्तियों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

इस स्तर पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ए-10 और ए-15 दोनों ही थे।

ए-13 को जमानत देने वाले 22 अक्टूबर 2020 के आदेश के आधार पर दावा की गई समानता के आधार पर 21 दिसंबर 2020 को जमानत दी गई। 20 जनवरी 2021 को ए-16 और ए-17 को जमानत देने वाले 19 जनवरी 2021 के आदेश भी समानता पर आधारित हैं।

8. कालानुक्रमिक रूप से, जमानत देने वाला उच्च न्यायालय का पहला आदेश 22 अक्टूबर 2020 को सिद्धधराजसिंह भागुभा वाघेला (ए-13) के पास गया था। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	अभियुक्त नं.	ऑर्डर की तारीख
	विशन हीरा कोली		
1		6	21 दिसंबर 2020
	प्रवीण हीरा कोली		
2		10	21 दिसंबर 2020
	सिद्धधराजसिंह भागुभा वाघेला।। 13		22 अक्टूबर 2020
3		15	21 दिसंबर 2020
	खेता पर्बत कोली		
4			
	वनराज दर्शन कोली		

19

जनवरी 2021

5

16

दिनेश दर्शन अखियानी (कोली) 17

20

जनवरी 2021

6

अभिलेख पर सामग्री के माध्यम से, यह प्रतीत होता है कि हालांकि आवेदक का नाम और कथित अपराधों के लिए प्राथमिकी में दिखाया गया है धारा 302,143,144,147,148,149,341,384, [2021] 7 एस. सी. आर. के तहत दंडनीय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1209 मई 2020 को हुई घटना के लिए आई. पी. सी. की धारा बी, 506 और 34, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए, 27 और 29 और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत दंडनीय अपराध।

आरोप-पत्र के दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता ने 3 जून 2020 के बाद के बयान में कहा है कि

घटना की तारीख से 25 दिनों के बाद दर्ज की गई, स्पष्ट रणनीति जो एफ. आई. आर. में बताई गई थी, गायब है। हालाँकि शिकायतकर्ता

उसने कहा है कि आवेदक उपस्थित था, लेकिन बाद के बयान में कोई भूमिका नहीं दी गई है, जो 3 जून, 2020 को दर्ज किया गया था, जिसमें 9 मई 2020 को घटना के स्थान पर हुई घटनाओं के कालक्रम के संबंध में विवरण प्रभावी रूप से शिकायतकर्ता द्वारा दिनांकित अतिरिक्त बयान में प्रतिस्थापित किया गया है।

3 जून 2020 में पूरी तरह से अलग विवरण सुनाते हुए। इस पर

इस समय, यह न्यायालय घटना के विवरण में नहीं जा रहा है क्योंकि यह बाद में मुकदमे को प्रभावित कर सकता है। यह कहना पर्याप्त है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक पिछले अपराधों की लंबित कार्यवाही और शिकायतकर्ता पक्ष के साथ दुश्मनी के कारण कथित अपराधों में शामिल रहा है।

9. इसके अलावा, एकल न्यायाधीश ने कहा किः

((ख) जाँच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया था; और (111) मुकदमे में समय लगने की संभावना थी क्योंकि 110 गवाह होने थे।

जाँच की गई।

रिलायंस को संजय मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया था

चंद्र वी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2. ए-10 और ए-15 (21 दिसंबर 2020); ए-16 (19 जनवरी 2021); और ए-17 (20 जनवरी 2021) को जमानत देने वाले आदेश समानता पर आधारित हैं।

10. मुख्य आरोपी विशन (ए-6) को 21 दिसंबर 2020 को जमानत दे दी गई थी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत कारण

न्यायालय आदेश के पैराग्राफ 7,8 और 9 में निहित है जो इस प्रकार हैः

" 7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनना और विचार करना

अभिलेख पर रखी गई सामग्री और इसे ध्यान में रखते हुए

साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा किए बिना मामले के तथ्य, आरोपों की प्रकृति, अपराधों की गंभीरता, अभियुक्त की भूमिका,

2 2012 (1) एस. सी. सी. 40 रामेश भवन राथोड बनाम। विशाणभाई हीराभाई मकवाना मकवाना (कोली) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस न्यायालय की राय है कि यह प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है

विवेकाधिकार और नियमित जमानत पर आवेदक को बढ़ाना।

8. वर्तमान के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मामले में, मैं आवेदक के मामले पर विचार करने के लिए इच्छुक हूं।

9. इस न्यायालय ने निर्धारित कानून पर भी विचार किया है।

संजय चंद्र बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा।

केंद्रीय जांच ब्यूरो, [2012] 1 एस. सी. सी. 40 में रिपोर्ट किया गया।

11. वर्तमान बैच के सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप

उसी घटना से अपीलें उठती हैं। इसलिए सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई है।

12. श्री विनय नवारे, वरिष्ठ वकील और सुश्री जयक्रिती एस जडेजा,

वकील अपीलों के समर्थन में पेश हुए हैं, जो सभी सूचना देने वाले द्वारा दायर की गई थीं। प्रतिवादी-अभियुक्त की ओर से श्री निखिल गोयल, वकील उपस्थित हुए। 5 फरवरी 2021 को जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में, श्री अनिरुद्ध पी. मयी की ओर से उपस्थित हुए हैं। गुजरात राज्य। जहाँ तक अभियुक्तों का संबंध है, 5 अप्रैल 2021 के आदेश में न्यायालय के समक्ष दर्ज स्थिति इस प्रकार हैः

श्री द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया एकमात्र अभियुक्त

" एसएलपी (सीआरएल) 790/2021

1

निखिल गोयल

एसएलपी (सीआरएल) 1245/2021

एकमात्र आरोपी-कोई उपस्थिति नहीं

सेवा के बावजूद प्रवेश किया

एसएलपी (सीआरएल) 1246-47/2021

श्री द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए दो अभियुक्त

पूर्विश मलकान और श्री निखिल गोयल

एकमात्र अभियुक्त-कोई उपस्थिति दर्ज नहीं

सेवा के बावजूद

एसएलपी (सीआरएल) 1249/2021

श्री जे. एस. द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया एकमात्र अभियुक्त

श्री हरेश के निर्देश पर अत्री

रायचुरा "

चूंकि विशेष अवकाश याचिकाओं में से दो विशेष अवकाश याचिकाएं हैं।

याचिका (सी. आर. एल.) सं. 1245 और 2021 का 1248, कोई उपस्थिति नहीं थी

नोटिस की सेवा के बावजूद अभियुक्त की ओर से दायर किया गया, इस न्यायालय ने 5 अप्रैल 2021 के अपने आदेश द्वारा श्री निखिल गोयल से उनका प्रतिनिधित्व करने का अनुरोध किया। हम श्री निखिल गोयल द्वारा अदालत के एक अधिकारी के रूप में प्रदान की गई सक्षम सहायता की सराहना करते हैं, जिन्होंने दो गैर-प्रतिनिधित्व वाले अभियुक्तों के लिए भी न्याय मित्र के रूप में काम किया है।

13. श्री विनय नवारे, विद्वान वरिष्ठ वकील, जो उनकी ओर से पेश हुए

अपीलार्थी का-सूचनादाता प्रस्तुत करता है कि प्राथमिक आधार जिस पर [2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22 अक्टूबर 2020 को सिद्धधराजसिंह भागुभा वाघेला (ए-13) के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने का पहला आदेश पारित किया गया था।

एफ. आई. आर. 9 मई 2020 को दर्ज की गई थी, सूचना देने वाले का बयान 3 जून 2020 को दर्ज किया गया था, जिसमें हथियारों की प्रकृति सहित घटना की उत्पत्ति में पर्याप्त बदलाव हुए हैं। जबकि एफ. आई. आर. में आरोप लगाया गया है कि विशन (ए-6) ने अन्य व्यक्तियों के साथ एक राइफल से कई राउंड गोलियां चलाईं, बाद के बयान से संकेत मिलता है कि चोटें आग्नेयास्त्रों के उपयोग के परिणामस्वरूप नहीं बल्कि एक तेज हथियार से लगी थीं। निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया हैः

((i)

विशन (ए-6) द्वारा 13 मई 2020 को क्रॉस एफ. आई. आर. दर्ज की गई।

इंगित करता है कि एक घटना 9 मई 2020 को हुई थी;

((ii) घटना के दौरान पांच लोगों की हत्या कर दी गई।

13 मई 2020 को दर्ज क्रॉस एफ. आई. आर. में एक संदर्भ है। करने के लिएः

अभियुक्त हथियारों से लैस है;

ए।

बी। अभियुक्त की ओर से सूचना देने वाले के पक्ष पर हमला करने और हमला करने के लिए पूर्व-ध्यान; और

सी। अभियुक्तों द्वारा हमला किया जा रहा था क्योंकि मृतक भागने की कोशिश कर रहे थे, जब उनके वाहन को दो ट्रैक्टरों द्वारा घेर लिया गया था।

अभियुक्त।

((iv) अभियुक्त की उपस्थिति और भूमिका उनकी ओर आकर्षित होती है।

न केवल एफ़. आई. आर. में लिखा गया है, बल्कि यह क्रॉस एफ़. आई. आर. से भी स्पष्ट है जो बाद में विशन (ए-6) के कहने पर 13 मई 2020 को दर्ज की गई थी।

(v)

क्रॉस एफ़. आई. आर. जो अभियुक्त के बयान को निर्धारित करती है

यह इंगित करेगा कि आरोपी हमलावर थे; और

(vi) क्या पाँच मौतें बंदूक की चोटों के परिणामस्वरूप हुई थीं (जैसा कि 9 मई 2020 की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है) या धरियों के कारण (जैसा कि 3 जून 2020 को दर्ज किए गए बयान में आरोप लगाया गया है) इस स्तर पर प्रासंगिक नहीं है। अभियुक्त की उपस्थिति, उनकी ओर से पूर्व-ध्यान, मुखबिर के पक्ष के व्यक्तियों पर किया गया हमला और इसके परिणामस्वरूप पांच हत्याएं जो घटना की उत्पत्ति का कारण बनती हैं, जमानत से इनकार करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

रमेश भवन राथोड बनाम। विशाणभाई हीराभाई मकवाना मकवाना (कोली) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अक्टूबर 2020 और समानता के आधार पर पहले के आदेश का पालन करते हुए। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि 21 दिसंबर 2020 को मुख्य आरोपी विशन (ए 6) को जमानत देने के आदेश में कोई कारण नहीं है। यह आग्रह किया गया कि जमानत देते समय, मुख्य न्यायाधीश ने केवल यह कहा है कि संबंधित पक्षों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता "आगे के तर्कपूर्ण आदेश के लिए दबाव नहीं डालते हैं"। यह आग्रह किया गया कि यह आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए अभिशाप है। उच्च न्यायालय को धारा 439 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, अपने दिमाग को निष्पक्ष रूप से लागू करने और जमानत देने के कारणों का संकेत देने की आवश्यकता होती है। इस कर्तव्य को समाप्त नहीं किया जा सकता है, यह दर्ज करके आग्रह किया गया था कि पक्षों के वकील ने "आगे के तर्कपूर्ण आदेश" के लिए दबाव नहीं डाला था। 15. वरिष्ठ वकील श्री विनय नवारे द्वारा की गई दलीलों का सुश्री जयक्रिती एस जडेजा द्वारा उनकी दलीलों के दौरान समर्थन किया गया है। इसके अलावा, विद्वान सलाहकार ने निम्नलिखित परिस्थितियों को स्वीकार कियाः

((i)

सिद्धधराजसिंह के खिलाफ तीन पूर्व प्राथमिकियां दर्ज भागुभा वाघेला (ए-13);

((ii) जमानत देते समय उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि आदेश को किसी अन्य मामले में पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जाएगा।

समानता के आधार; और

(111) केवल वनराज दर्शन कोली (ए-16), खेता पर्वत कोली (ए-15), प्रवीण हीरा कोली (ए-10) और दिनेश दर्शन अखियानी (ए-17) को समानता के आधार पर जमानत दी गई।

16. गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अनिरुद्ध पी. मयी ने निम्नलिखित आधारों पर जमानत देने के आदेशों को चुनौती देने में अपीलार्थी की दलीलों का समर्थन किया हैः

((i)

छह अभियुक्त व्यक्तियों को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की मंजूरी

इस समूह में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है

परिस्थितियाँः

ए। मुख्य आरोपी विशन (ए-6) अंजार का निवासी था।

और हमीरपुर आया था;

बी। इससे पहले एक घटना हुई थी जिसमें मृतक अखाभाई के साथ बहस हुई थी;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी। विवाद के दौरान एक समझौता किया गया था

समुदाय के हस्तक्षेप के साथ;

डी। जैसा कि विशन (ए-6) द्वारा क्रॉस एफ. आई. आर. में बताया गया है, 9 मई 2020 को अभियुक्त का आचरण पूर्व-नियोजित था।

ई. घटना 1 बजे हुईः 00 शाम को जब सूचना देने वाले का पक्ष (9 मई 2020 की प्राथमिकी में) दोपहर के भोजन के लिए अपने खेतों से लौट रहा था, तब उन्हें रास्ते से हटा दिया गया और

सामने और पीछे दोनों तरफ अभियुक्त के वाहनों द्वारा बाधित;

एफ. अभियुक्त पक्ष ने 22 व्यक्तियों को एकत्र किया था

समूह पर हमला करने के लिए एक पूर्व-ध्यानित योजना को निष्पादित करना

घातक हथियारों के साथ सूचना देने वाला;

जी. राइफलों को दागा गया था या नहीं, पंचनामा

हथियारों की बरामदगी को नोट करता है;

एच. विशन (ए-6) और सिद्धधराज सिंह भागुभा वाघेला दोनों

(ए-13) आपराधिक पृष्ठभूमि है, उनके खिलाफ पहले एफ. आई. आर. एस. दर्ज किया गया है;

आई. सत्र न्यायाधीश ने नोट किया कि ए-6 ने प्रयास भी किया था

गलत आधार पर चिकित्सा आधार पर जमानत प्राप्त करने के लिए

पहचान; और

जे. अभियुक्त की संलिप्तता, उनका इरादा, उपस्थिति और

भूमिकाएँ क्रॉस एफ़. आई. आर. द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित हैं।

श्री निखिल गोयल, विद्वान वकील की ओर से पेश हुए

दूसरी ओर एस ने उच्च न्यायालय के आदेशों का समर्थन किया

निम्नलिखित प्रस्तुतियों पर आईएलः

9 मई 2020 की घटना से उत्पन्न हुई एफ. आई. आर.

22 व्यक्तियों को शामिल करता है; अभियुक्त 18-22, जो महिलाएँ हैं, उन्हें जमानत दे दी गई, जो चुनौती का विषय नहीं है;

ग्यारह आरोपी अभी भी जेल में हैं जिनमें से आठ व्यक्ति हैं। वहाँ धारदार हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप;

जाँच के बाद प्रस्तुत किए गए आरोप पत्र में 110 गवाहों के नाम हैं।

क्रॉस-एफ़. आई. आर. में भी एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है; भवन राथोड बनाम।

विशाणभाई हीराभाई मकवाना आना (कोली) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

घटना की उत्पत्ति, जैसा कि 9 मई 2020 को दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है, 3 जून 2020 को दर्ज सूचना देने वाले के बयान के दौरान काफी हद तक बदल दिया गया है। एफ़. आई. आर. में दोनों समूहों के बीच स्वतंत्र लड़ाई या अभियुक्तों को हुई चोटों का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था।

10 मई 2020 की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि आरोप है कि मौतें गोली लगने से हुई हैं

चोट लगना;

3 जून 2020 को सूचना देने वाले के बाद के बयान में प्राथमिकी में आरोपों में सुधार करने का प्रयास किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हथियारों के संबंध में आरोप

चोट पहुँचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुरूप बनाए जाते हैं जो नुकीले धार के उपयोग का संकेत देते हैं। हथियार;

एफ़. आई. आर. में आरोप लगाया गया है कि मुखबिर की तरफ के पाँच लोगों को गोलियों से मारा गया था और वे जमीन पर पड़े हुए थे।

जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट द्वारा गलत बताया गया है जिसका संकेत नहीं है

गोली की चोटें; और

घटना की प्रकृति को बदलने की कोशिश की जाती है बयान जो 3 जून 2020 को दर्ज किया गया था। इससे पहले

संस्करण जो बंदूक की गोली की चोटों को संदर्भित करता है, को बदल दिया जाता है धारिया चोटों के साथ और आग्नेयास्त्रों के उपयोग के प्रयास से।

तथापि, अभियुक्त की ओर से यह आग्रह किया गया है कि (i) 9 तारीख को अपराध स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति

मई 2020 क्रॉस एफ. आई. आर. द्वारा स्थापित किया गया है;

((ii) पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट यह प्रदर्शित करेगी कि सभी चोटें मृतक को तेज धार वाले हथियारों से लगी थीं, न कि आग्नेयास्त्रों या डंडों के कारण।(iii) घटना के तीन संस्करण हैं, जो एफ़. आई. आर., बाद के बयान और [2021] 7 एस. सी. आर. में निहित हैं।

क्रॉस एफ. आई. आर.। इसके बाद एक आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

क्रॉस एफ. आई. आर. की जाँच;

((iv) बीस-दो व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

(v) जबकि सत्र न्यायाधीश ने बाद के बयान में किए गए सुधार को देखा था, जमानत थी

केवल अभियुक्त की उपस्थिति के आधार पर इनकार किया गया;

और

(vi) यदि यह न्यायालय यह मानता है कि ए-6 को जमानत देने वाले 21 दिसंबर 2020 के आदेश में पर्याप्त कारण नहीं दिए गए हैं, तो रिमांड का आदेश वारंट किया जा सकता है।

18. श्री निखिल गोयल की दलीलों का समर्थन किया गया है

श्री जे. एस. अत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय चंद्र बनाम में निर्णय पर भरोसा रखते हुए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 3. विद्वान वरिष्ठ वकील ने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि 3 जून 2020 का बाद का बयान

उत्पत्ति के साथ-साथ घटना के विवरण को भौतिक रूप से बदल दिया है। कुछ अभियुक्तों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री पूर्विश जितेंद्र मलकन ने भी इसी तरह की दलीलें प्रस्तुत करने का आग्रह किया है।

(ii) खेत पर्वत कोली (ए-15) के कपड़ों और छड़ी पर खून के निशान की अनुपस्थिति उसकी निर्दोषता का संकेत है; और (iii) यह शिकायतकर्ता का पक्ष था जिसने प्रारंभिक कार्य किया था।

आक्रामकता का कार्य।

19. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब विश्लेषण के लिए आती हैं।

20. मामले का पहला पहलू जो चेहरे पर घूरता है वह है

अपराध की प्रकृति और गंभीरता के लिए उच्च न्यायालय के निर्णय में एकल अनुपस्थिति। 9 मई 2020 को हुई इस घटना में पाँच लोगों की हत्या कर दी गई थी। अपराध की प्रकृति एक परिस्थिति है।

जिसका जमानत देने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अपराध की गंभीर प्रकृति के बारे में कोई जागरूकता या विस्तार के अभाव में उच्च न्यायालय के आदेश स्पष्ट हैं। विकृति इस बात में निहित है कि उच्च न्यायालय एक महत्वपूर्ण परिस्थिति पर विचार करने में विफल रहा है जिसका असर पड़ता है

3 2012 (1) एस. सी. सी. 40 रामेश भवन राथोड बनाम। विशाणभाई हीराभाई मकवाना मकवाना (कोली) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

क्या जमानत दी जानी चाहिए। राम गोविंद उपाध्याय बनाम मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में। सुदर्शन सिंह * अपराध की प्रकृति को "बुनियादी विचारों में से एक" के रूप में दर्ज किया गया था जिसका जमानत देने या अस्वीकार करने पर असर पड़ता है। जमानत की मंजूरी को नियंत्रित करने वाले विचारों को इस न्यायालय के फैसले में एक संपूर्ण प्रकृति या चरित्र को जोड़े बिना स्पष्ट किया गया था। यह निम्नलिखित उद्धरण से निकलता हैः

" 4. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य जिन्हें प्रासंगिक विचार माना जा सकता है, इस मोड़ पर भी देखे जा सकते हैं, हालांकि, वे केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

न ही कोई हो सकता है। विचार इस प्रकार हैंः

(क) जमानत देते समय न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि

केवल आरोपों की प्रकृति, लेकिन इसकी गंभीरता

सजा, यदि आरोप में दोषसिद्धि और प्रकृति शामिल है

आरोपों के समर्थन में सबूत।

(ख) गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता के लिए खतरा होने की आशंका को भी जमानत देने के मामले में अदालत के साथ विचार करना चाहिए। (ग) यद्यपि अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने वाला पूरा साक्ष्य होने की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन न्यायालय को हमेशा इस मामले में प्रथम दृष्टया संतुष्टि मिलनी चाहिए।

शुल्क का समर्थन।

(घ) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और यह केवल वास्तविकता का तत्व है जिस पर जमानत देने के मामले में विचार किया जाना चाहिए, और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, सामान्य घटनाओं में, अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है।

इस न्यायालय ने एक आदेश को पलटने के लिए मानक निर्धारित किया

निम्नलिखित शर्तों में जमानत देनाः

" 3. जमानत देना हालांकि एक विवेकाधीन आदेश है-लेकिन, इस तरह के विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता है, न कि निश्चित रूप से। किसी भी ठोस आधार के बिना जमानत का आदेश

कारण को कायम नहीं रखा जा सकता है।

4 (2002) 3 एससीसी 598 [2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. जमानत की मंजूरी को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को प्रशांत कुमार सरकार बनाम मामले में एक न्यायपीठ द्वारा दोहराया गया था। आशीष चटर्जी 3:

" 9. ..... यह मामूली बात है कि यह न्यायालय आम तौर पर किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है।

उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने या अस्वीकार करने का आदेश अभियुक्त। हालाँकि, यह उच्च न्यायालय पर समान रूप से बाध्यकारी है कि

अपने विवेक का विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से प्रयोग करें।

बहुतायत में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों का अनुपालन

इस मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णय। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि, अन्य परिस्थितियाँ, ध्यान में रखे जाने वाले कारक जब

जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार करना इस प्रकार है:

क्या कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है

((i)

मान लीजिए कि अभियुक्त ने अपराध किया था;

((ख) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

((ग) दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता; ((iv) रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा।

जमानत पर;

(v) चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और स्थिति

अभियुक्त;

((vi) अपराध के दोहराये जाने की संभावना;

(vii) गवाहों के होने की उचित आशंका

प्रभावित; और

((viii) निश्चित रूप से, न्याय के अनुदान द्वारा विफल होने का खतरा

जमानत।

[आंतरिक उद्धरण हटा दिया गया] "

अपने न्यायालय को देने वाले आदेश को रद्द करने की इस न्यायालय की शक्ति को स्पष्ट करते हुए कहा गयाः

" 10. यह स्पष्ट है कि यदि उच्च न्यायालय इन प्रासंगिक विचारों का विज्ञापन नहीं करता है और यंत्रवत रूप से जमानत प्रदान करता है, तो उक्त आदेश मन के गैर-अनुप्रयोग के दुष्प्रभाव से पीड़ित होगा, जिसका अर्थ है

अवैध होना "। 22. हम यह देखने के लिए विवश हैं कि द्वारा पारित आदेश

जमानत देने वाला न्यायालय कानून के तहत अनुमति देने में विफल रहता है। वे हैं।

कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता के प्रति संवेदनशील और निर्दोष

) 14 एस. सी. सी. 496 रामेश भवन राथोड बनाम। विशाणभाई हीराभाई मकवाना मकवाना (कोली) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

और दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता तक। नीरू यादव बनाम। यू. पी. 6 के राज्य, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सिद्धांत को लागू करते समय

समानता के आधार पर, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग विचित्र तरीके से नहीं कर सकता है और उसे जमानत देने से पहले परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करना होता है। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 17. हाथ में मामले पर आते हुए, यह पाया जाता है कि जब एक स्टैंड लिया गया था कि दूसरा प्रतिवादी एक हिस्ट्रीशीटर था, तो यह था उच्च न्यायालय की ओर से यह अनिवार्य है कि वह प्रत्येक पहलू की जांच करे और लापरवाही से यह दर्ज न करे कि दूसरा प्रतिवादी समानता के आधार पर जमानत पर भर्ती होने का हकदार है। यह पूर्ण निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि यह समानता का मामला नहीं था और इसलिए, विवादित आदेश स्पष्ट रूप से मन के गैर-अनुप्रयोग को उजागर करता है। इसके अलावा, वास्तव में यह दर्ज किया गया है कि दूसरे प्रतिवादी पर कई अन्य जघन्य अपराधों के संबंध में आरोप पत्र दायर किया गया है। उच्च न्यायालय इस पर ध्यान देने में विफल रहा है। इसलिए, आदेश को विलुप्त होने का मार्ग प्रशस्त करना होगा, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा इसकी मंजूरी उपहास के समान होगी।

न्याय, और तदनुसार हम इसे अलग कर देते हैं।

23. मामले का एक अन्य पहलू जिस पर जोर देने की आवश्यकता है वह है जिस तरह से उच्च न्यायालय ने समानता के सिद्धांत को लागू किया है। बिनि मोननैजों।

21 दिसंबर 2020 के दोनों आदेशों पर, उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी प्रवीण कोली (ए-10) और खेता पर्बत कोली (ए-15)। सिद्धधराजसिंह भागुभा वाघेला (ए-13) के साथ समानता मांगी गई थी, जिन्हें 22 अक्टूबर 2020 को इस आधार पर जमानत दी गई थी (जैसा कि उच्च न्यायालय ने दर्ज किया था) कि वे थे

" छड़ी (एस. आई. सी.) के साथ सशस्त्र की समान भूमिका सौंपी गई "। पुनः, वनराज कोली (ए-16) को इस आधार पर जमानत दी गई कि वह लकड़ी की छड़ी से लैस था और इस आधार पर कि प्रवीण (ए-10), खेता (ए-15) और सिद्धधराजसिंह (ए-13) जो लाठी से लैस थे, उन्हें जमानत दे दी गई थी। द हाई

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से समानता के केंद्रीय पहलू को गलत समझा है। जमानत देते समय समानता को अभियुक्त की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल यह देखना कि एक अन्य आरोपी जिसे जमानत दी गई थी, उसके पास इसी तरह के हथियार थे, यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि समानता के आधार पर जमानत देने का मामला स्थापित किया गया है या नहीं। समानता के पहलू को तय करने में, अभियुक्त से जुड़ी भूमिका, घटना के संबंध में उनकी स्थिति और पीड़ितों के लिए अत्यधिक महत्व है। द हाई न्यायालय एक सरल मूल्यांकन पर समानता के आधार पर आगे बढ़ा है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जो फिर से कानून के तहत पारित नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. इस फैसले के पहले भाग में तथ्यों का वर्णन

यह इंगित करता है कि 22 अक्टूबर 2020 को, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सिद्धधराजसिंह (ए-13) को जमानत दे दी, एकल न्यायाधीश ने नोट किया कि ए-13 का नाम 9 मई 2020 को हुई घटना के लिए प्राथमिकी में दिखाया गया है। एकल न्यायाधीश के साथ जिस परिस्थिति का वजन था, वह यह थी कि सूचना देने वाला बाद के बयान में, जो 3 जून 2020 को प्राथमिकी के पच्चीस दिन बाद दर्ज किया गया था, स्पष्ट कार्य का विज्ञापन नहीं करता है जिसे प्राथमिकी में जिम्मेदार ठहराया गया था; हालाँकि ए-13 की उपस्थिति दिखाई गई है, बाद के बयान में उसकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है। यह देखते हुए कि 9 मई 2020 को हुई घटनाओं के कालक्रम के संबंध में विवरण 3 जून 2020 के बाद के बयान में "प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित" किया गया है, उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ए 13 को पिछली कार्यवाही के लंबित रहने और सूचना देने वाले के पक्ष के साथ दुश्मनी के कारण शामिल किया गया था। यह मानते हुए कि यह जमानत देने के लिए पर्याप्त था, विद्वान न्यायाधीश ने कहाः

" 15. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता

संबंधित पक्ष आगे के तर्कपूर्ण आदेश के लिए दबाव नहीं डालते हैं। (जोर दिया गया)

25. ए-13 के मामले में 22 अक्टूबर 2020 को जो आदेश पारित किया गया था, उस पर प्रवीण (ए 10) और खेता (ए-15) के मामले में समानता के आधार पर 21 दिसंबर 2020 को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेशों द्वारा भरोसा किया गया था। विशन (ए-6) के मामले में जमानत दी गई थी।

21 दिसंबर 2020 को एकल न्यायाधीश द्वारा, जिन्होंने ए-10 और ए-15 के मामले में 22 अक्टूबर 2020 को आदेश पारित किए थे। एकल न्यायाधीश के आदेश में केवल यही कारण बताए गए हैं कि मामले के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति, अपराधों की गंभीरता और अभियुक्त की भूमिका को ध्यान में रखते हुए जमानत दी जा रही थी। इसके बाद, 19 जनवरी 2021 के एक आदेश द्वारा वनराज (ए-16) को विशुद्ध रूप से समानता के आधार पर जमानत दी गई। 20 जनवरी 2021 को दिनेश (ए-17) के मामले में वनराज (ए-16) को जमानत देने के आदेश का समानता के आधार पर पालन किया गया।

26. तथ्यों के उपरोक्त परिप्रेक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि अनिवार्य रूप से एकमात्र क्रम जिसमें तर्क की झलक होती है, वह दिनांकित क्रम है।

22 अक्टूबर 2020 ए-13 को जमानत देना। वास्तव में, अभियुक्तों की ओर से जो प्रस्तुतियाँ की गई हैं, वे काफी हद तक इस पर आधारित हैं - जमानत की मंजूरी को इस आधार पर उचित ठहराने में तर्क की एक ही पंक्ति है कि सूचना देने वाले के 3 जून 2020 के बाद के बयान में, 9 मई 2020 को हुई घटना की उत्पत्ति और विवरण, जैसा कि प्राथमिकी में विस्तृत रूप से बताया गया है, में काफी बदलाव आया है।

रमेश भवन राथोड बनाम। विशाणभाई हीराभाई मकवाना मकवाना (कोली) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

27. छह अभियुक्तों को जमानत देते हुए, उच्च न्यायालय ने मामले के भौतिक पहलुओं को पहचानने में विफल रहकर एक गंभीर गलती की है।

उच्च न्यायालय के आदेशों को विकृति के आधार पर हमले के लिए असुरक्षित बनाना। अपराधों की गंभीरता और गंभीरता पहली परिस्थिति है जिसे उच्च न्यायालय के साथ तोलना चाहिए था, लेकिन जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है। 9 मई 2020 को दर्ज की गई एफ़. आई. आर. में घटना के दौरान मुखबिर की ओर से पांच लोगों की हत्या के बारे में बताया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 242,143,144,147,148,149,341,384,120 बी, 506 (2) के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था। यह आह्वान के अलावा है

शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए, 27 और 29 और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान। 9 मई 2020 को दर्ज की गई एफ़. आई. आर. में कहा गया है कि घटना 1 बजे हुईः 00 पी एम। मृतक सहित मुखबिर की ओर से लोगों का एक समूह लगभग 1 बजे घर लौट रहा थाः 00 पी एम। घटना की उत्पत्ति यह है कि अभियुक्तों के ट्रैक्टरों द्वारा उनके वाहन का रास्ता आगे और पीछे दोनों ओर से अवरुद्ध कर दिया गया था। एफ. आई. आर. विशेष रूप से उपस्थिति को संदर्भित करता है

अभियुक्त विशन (ए-6), सिद्धधराजसिंह भागुभा वाघेला (ए-13), वनराज दर्शन कोली (ए-16), खेता पर्वत कोली (ए-15), प्रवीण हीरा कोली (ए-10) और दिनेश दर्शन अखियानी (कोली) (ए-17)। इसमें कहा गया है कि सभी आरोपी पिस्तौल, दरिया और चाकू लेकर घटनास्थल पर आए थे और शुरू में विशन (ए-6) और दो अन्य ने अपनी राइफलों से गोलीबारी की थी, जिसके परिणामस्वरूप पांच लोग जमीन पर गिर गए थे। इनमें से कुछ अभियुक्त -

विशन (ए-6), सिद्धधराजसिंह (ए-13), वनराज (ए-16), खेटा (ए-15), प्रवीण (ए-10) और दिनेश (ए-17) पर अखाभाई, पेठाभाई, अमारा, लालजी और वेला के सिर और शरीर पर धारिया और लाठियों से हमला करने का आरोप है। सभी को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

28. चार दिन बाद 9 को मुखबिर द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई

भूमि पर पहले से मौजूद विवाद और 7 मई 2020 को हुई एक घटना का वर्णन जिसे समुदाय के हस्तक्षेप से हल किया गया था। 13 मई 2020 की क्रॉस एफ़. आई. आर. में कहा गया है कि विशन (ए-6) ने अपने भतीजे को अपनी मोटरसाइकिल वापस पाने के लिए अखाभाई के साथ पुलिस स्टेशन भेजा। क्रॉस एफ. आई. आर. में विशेष रूप से कहा गया है कि आरोपी पक्ष ने अखाभाई को मारने का फैसला किया था और इस साजिश के अनुसार वह अपने भाई और कुछ अन्य अभियुक्तों के साथ अपने वाहन में आगे बढ़ा और अखाभाई को उनकी कार से कुचलकर मारने की कोशिश की। क्रॉस एफ. आई. आर. में वास्तविक इरादे के अनुवाद पर श्री [2021] 7 एस. सी. आर. द्वारा सवाल उठाया गया है।

निखिल गोयल ने यह प्रस्तुत करते हुए कि गुजराती से सही अनुवाद किया गया है, इरादा हमला करना होगा न कि मारना। जो भी हो, क्रॉस एफ़. आई. आर. इन सभी अभियुक्तों की उपस्थिति और मृतक पर हमला करने के लिए उनके हथियारों से लैस होने का संकेत देती है। ए-6, वास्तव में, बताता है कि जो घटना हुई, उसके हाथ पर धारिया से हमला किया गया। क्रॉस एफ़. आई. आर. में बताया गया है कि कैसे अखाभाई और अन्य लोगों ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रास्ते से हटा दिया गया और उन पर हमला किया गया। क्रॉस एफ. आई. आर. में यह भी कहा गया है कि आरोपी की ओर से कई महिलाएं घटना स्थल पर आई थीं।

29. 13 मई 2020 को विशनभाई (ए 6) द्वारा दर्ज की गई क्रॉस एफ. आई. आर. पढ़ने से संकेत मिलता हैः

((i) आरोपी की ओर से हमला करने का इरादा मृत व्यक्ति;

((ii) अखाभाई और अन्य मृतक पर हमला करके जिस तरह से उनकी पूर्व-ध्यानित योजना को हासिल करने की कोशिश की गई थी।

व्यक्तियों;

(iii) अखाभाई और दूसरे मृतक द्वारा भागने का प्रयास किया गया था लेकिन हमले के दौरान इसे रोक दिया गया था; और ((iv) अभियुक्त हथियारों से लैस होकर अपनी हत्या को अंजाम देने आए थे।

इरादा।

30. दूसरे शब्दों में क्रॉस एफ. आई. आर. की सामग्री के साथ वे

हालाँकि, किसी भी न्यायिक दिमाग के लिए, जमानत देने के लिए आवेदनों पर निर्णय लेते समय, यह बताना असंभव थाः

घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति

((i)

9 मई 2020;

((ii) अखाभाई पर हमला करने के लिए आरोपी हथियारों से लैस था।

और उसके साथ अन्य लोग;

€ ((ग) उन पर हमला करने का इरादा; और

((iv) वह वास्तविक घटना जिसमें अखाभाई और उनके समूह के चार अन्य व्यक्तियों को रास्ते में रोका गया और उन पर हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पांच लोगों की हत्या कर दी गई।

31. रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट शारीरिक चोटों की व्यापक प्रकृति का संकेत देती है जो पाँच मृत व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा बनाए रखा गया। यह सच है कि 9 मई 2020 की एफ. आई. आर. में यह आरोप लगाया गया था कि मृतकों पर गोली चलाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप वे जमीन पर गिर गए थे, जबकि 3 रमेश भवन राथोड बनाम।

विशाणभाई हीराभाई मकवाना मकवाना (कोली) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जून 2020 में, यह कहा गया है कि चोटें धारियों और डंडों के कारण लगी थीं। गोलियों के घावों के परिणामस्वरूप मौतें हुईं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या जमानत देने का मामला एक बार क्रॉस एफ. आई. आर. के एक सादे पठन से अभियुक्त की उपस्थिति और सूचना देने वाले के पक्ष पर हमला करने की उनकी योजना के निष्पादन दोनों का संकेत मिलता है, जो हथियार उनके पास थे।

अभियुक्त के पक्ष में महिलाएँ एक तथ्य है जिसका उल्लेख क्रॉस एफ़. आई. आर. में ही किया गया है। ए-18 से ए-22 को जमानत दिया जाना इन कार्यवाहियों में चुनौती का विषय नहीं रहा है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि उस पहलू पर आगे ध्यान दें। वर्तमान स्तर पर मामलों के इस समूह का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के प्रावधानों के आह्वान पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

32. इसलिए ऊपर दिए गए हमारे विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च न्यायालय सामग्री का विज्ञापन करने में स्पष्ट रूप से विफल रहा है

33. मामलों के इस समूह का एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। 22 अक्टूबर 2020 के उच्च न्यायालय के आदेश में सिद्धधराजसिंह (ए-13) को जमानत देते हुए, लोक अभियोजक द्वारा 2017 और 2019 में उनके खिलाफ दर्ज पिछली प्राथमिकियों से संबंधित ए-13 की आपराधिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया था। यह

मोहम्मद वी। शिव राज सिंह ', इस अदालत ने माना है कि आपराधिक अनुदान देने के उद्देश्य से अभियुक्त के पूर्ववृत्त को तौला जाना चाहिए।

जमानत। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिस जमीन पर ए-13 था 7 (2012) 9 एससीसी 446 [2021] 7 एस. सी. आर.

जमानत दी गई है कि 3 जून 2020 के बाद के बयान में, जो स्पष्ट कार्य प्राथमिकी में बताया गया था, वह गायब पाया गया। यह कहने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि आदेश को किसी अन्य मामले में समानता के आधार पर जमानत का दावा करने के लिए एक पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जाएगा।

34. हम एकल न्यायाधीश के उपरोक्त अवलोकन से अप्रभावित और अस्वीकृत हैं। क्या समानता का दावा किसी के द्वारा किया जा सकता है

ए-13 को जमानत देने के आदेश के आधार पर अन्य अभियुक्तों को एकल न्यायाधीश द्वारा पूर्व निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए था जो केवल ए-13 को जमानत देने के आवेदन पर विचार कर रहा था। यह अवलोकन कि ए-13 को जमानत देना किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक मिसाल नहीं माना जाएगा। जो समानता के आधार पर एफ. आई. आर. में अभियुक्त है, वह न्यायिक रूप से उपयुक्त तर्क नहीं है। क्या जमानत देने का आदेश समानता के आधार पर एक पूर्ववर्ती है, यह भविष्य के निर्णय के लिए एक मामला है यदि और जब किसी अन्य आरोपी की ओर से समानता के आधार पर जमानत के लिए आवेदन किया जाता है। यदि बाद में ऐसे मामले में समानता का दावा किया जाता है, तो यह उस अदालत के लिए है जिसके समक्ष समानता का दावा किया जाता है कि क्या समानता के कारणों पर जमानत देने का मामला बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, एकल न्यायाधीश की टिप्पणियां जो ऊपर देखी गई हैं, वे हैं -

अनुचित और गलत। इसके अलावा, जैसा कि पैरा 23 में ऊपर देखा गया है, समानता के आधार पर विचार करते हुए भी न केवल हथियार, बल्कि

प्रत्येक अभियुक्त की व्यक्तिगत भूमिका पर विचार किया जाना चाहिए। हमने मामले के इस पहलू पर विचार किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून की स्थिति को ऊपर बताए गए संदर्भों में सही किया जाए। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, इसके बाद प्रवीण (ए-10) और खेता (ए-15) को 21 दिसंबर 2020 के आदेशों द्वारा समानता के आधार पर जमानत दी गई, जैसा कि इसके साथ दावा किया गया है। दिनांक 22 अक्टूबर 2020 का आदेश। एकल न्यायाधीश ने कहा कि अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कोई भेद नहीं किया था। इसके बाद, समानता वह आधार था जिसके आधार पर वनराज (ए-16) के मामले में जमानत मांगी गई थी, जिसे 19 जनवरी 2021 को जमानत दी गई थी। जमानत देते समय एकल न्यायाधीश ने कहा किः

" संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता आगे के तर्कपूर्ण आदेशों के लिए दबाव नहीं डालते हैं "

इसी तरह का अवलोकन 20 जनवरी 2021 के एकल न्यायाधीश द्वारा दिनेश (ए-17) को जमानत देने के आदेश में निहित है। अंत में इस पहलू पर हम विशन (ए-6) को जमानत देने वाले 21 दिसंबर 2020 के उच्च न्यायालय के आदेश का भी विज्ञापन करेंगे, जिसमें फिर से एक बयान है कि "संबंधित पक्षों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता आगे के तर्कपूर्ण आदेश के लिए दबाव नहीं डालते हैं"।

रमेश भवन राथोड बनाम। विशाणभाई हीराभाई मकवाना मकवाना (कोली) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

35. हम वर्तमान मामले में आदेशों के क्रम में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को अस्वीकार करते हैं जिसमें लिखा गया है कि पक्षों के वकील "आगे के तर्कपूर्ण आदेश के लिए दबाव नहीं डालते हैं"। जमानत देना एक ऐसा मामला है जो अभियुक्त की स्वतंत्रता, अभियुक्त के हित को निहित करता है।

आपराधिक न्याय के उचित प्रशासन में राज्य और अपराध के पीड़ित। यह एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि यह निर्धारित करने में कि क्या जमानत दी जानी चाहिए, उच्च न्यायालय या उस मामले के लिए, सत्र न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत एक आवेदन का निर्णय गुण-दोष के आधार पर तथ्यों के विस्तृत मूल्यांकन पर शुरू नहीं करेगा क्योंकि एक आपराधिक मुकदमा अभी भी होना बाकी है। जमानत पर निर्णय लेते समय ये टिप्पणियां मुकदमे के परिणाम पर भी बाध्यकारी नहीं होंगी। लेकिन जमानत देने वाला न्यायालय जमानत देने या न देने का निर्णय लेने के उद्देश्य से न्यायिक दिमाग को लागू करने और कारणों को, चाहे वे संक्षिप्त हों, दर्ज करने के अपने कर्तव्य से इनकार नहीं कर सकता है। पक्षों की सहमति उच्च न्यायालय के कर्तव्य को यह इंगित करने के लिए बाधित नहीं कर सकती है कि उसने या तो जमानत क्यों दी है या अस्वीकार कर दिया है। यही कारण है कि आवेदन के परिणाम का एक ओर अभियुक्त की स्वतंत्रता के साथ-साथ दूसरी ओर आपराधिक न्याय के उचित प्रवर्तन में सार्वजनिक हित पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पीड़ितों और उनके परिवारों के अधिकार भी दांव पर हैं। ये दो अलग-अलग पक्षों के निजी अधिकारों से जुड़े मामले नहीं हैं, जैसा कि दीवानी कार्यवाही में होता है। आपराधिक कानून का उचित प्रवर्तन जनहित का विषय है। इसलिए, हमें उस तरीके को अस्वीकार करना चाहिए जिसमें आदेशों का उत्तराधिकार होता है।

36. सी. आर. पी. सी. की धारा 439 के तहत जमानत देना न्यायिक विवेक का प्रयोग करने वाला मामला है। देने या अस्वीकार करने में न्यायिक विवेकाधिकार जमानत-किसी भी अन्य विवेकाधिकार के मामले में जो एक न्यायिक संस्थान के रूप में अदालत में निहित है-असंरचित नहीं है। कारणों को दर्ज करने का कर्तव्य एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है जो यह सुनिश्चित करता है कि जो विवेकाधिकार सौंपा गया है

न्यायालय में न्यायसंगत तरीके से कार्य किया जाता है। न्यायिक आदेश में कारणों की रिकॉर्डिंग यह सुनिश्चित करती है कि आदेश में अंतर्निहित विचार प्रक्रिया जांच के अधीन है और यह तर्क और न्याय के वस्तुनिष्ठ मानकों को पूरा करती है। चमन लाल बनाम में यह न्यायालय। यू. पी. 3 के राज्य ने इसी तरह यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय का एक आदेश जिसमें प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के कारण नहीं हैं कि जमानत दी जानी चाहिए, दिमाग का उपयोग न करने के लिए अलग किया जा सकता है। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 8. सरसरी तौर पर देखने पर भी उच्च न्यायालय का आदेश दिखाता है मन का पूर्ण गैर-अनुप्रयोग। यद्यपि विस्तृत जाँच

जमानत पर आदेश पारित करते समय न्यायालय द्वारा मामले के गुण-दोष के साक्ष्य और विस्तृत प्रलेखन से बचना चाहिए।

अनुप्रयोग। फिर भी जमानत आवेदन पर विचार करने वाली अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला है, लेकिन मामले के गुण-दोष का विस्तृत अन्वेषण आवश्यक नहीं है। जमानत के आवेदन पर विचार करने वाली अदालत को अपने विवेकाधिकार का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना आवश्यक है न कि निश्चित रूप से।

9. आदेश में इंगित करने की आवश्यकता है, प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के कारण कि जमानत क्यों दी जा रही थी, विशेष रूप से जहां एक आरोपी है उस पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

37. जिस तरह से विशन (ए-6) की जमानत के लिए आवेदन का निपटारा किया गया था, हम उस पर अपनी अस्वीकृति दर्ज करने के लिए भी विवश हैं। द.

उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए जमानत देने के अपने फैसले का समर्थन करने की मांग की कि उसने रिकॉर्ड पर सामग्री का अवलोकन किया है और "सबूतों पर विस्तार से चर्चा किए बिना" जमानत दे रहा है:

(1) मामले के तथ्य;

(2) आरोपों की प्रकृति;

(3) अपराधों की गंभीरता; और

(4) अभियुक्त की भूमिका।

वास्तव में कोई चर्चा या विश्लेषण नहीं है

परिस्थितियाँ बिल्कुल भी। एकल न्यायाधीश के आदेश में यह एकमात्र सजा एक ऐसे न्यायालय को छोड़ देती है जिसके समक्ष जमानत देने के आदेश को चुनौती दी जाती है,

जमानत देने में उच्च न्यायालय के साथ विचार करने पर पूरी तरह से मार्गदर्शन के बिना। हम इस बात की सराहना करते हैं कि जमानत देने या न देने का निर्णय लेने में उच्च न्यायालय उस स्तर पर नहीं है जहां वह अपराध पर निर्णय देता है। आपराधिक मुकदमे के दौरान इसका विश्लेषण किया जाना है जहां साक्ष्य दर्ज किए गए हैं। लेकिन निश्चित रूप से, उच्च न्यायालय के आदेश में कुछ कारणों का संकेत होना चाहिए कि न्यायालय ने या तो जमानत क्यों दी या अस्वीकार कर दिया। वर्तमान मामले में सत्र न्यायाधीशों ने अंतिम निष्कर्ष के लिए अपने कारणों का संकेत दिया है। दुर्भाग्यवश 21 दिसंबर 2020 के उच्च न्यायालय के आदेश में इसका पालन नहीं किया गया है। वर्तमान मामले के समान सूत्रीकरण से निपटने के लिए, इस न्यायालय ने हाल ही में सोनू बनाम में निम्नलिखित निर्णय दिया है। सोनू यादव 9:

2021 की आपराधिक अपील संख्या 377 पर 5 अप्रैल 2021 को निर्णय लिया गया।

विशाणभाई हीराभाई मकवाना अकवाना (कोली) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 11. इस निर्णय के पूर्व भाग में, हमने निष्कर्ष निकाला है

उच्च न्यायालय के आदेश में एकमात्र सजा जिसका उद्देश्य है -

अनुदान को उचित ठहराने के लिए तर्क की कुछ झलक प्रदर्शित करें

जमानत। जिस वाक्य को हमने पहले निकाला है, उसमें एक वाक्य है -

(i) के सभी तथ्यों और परिस्थितियों का सर्वव्यापी समामेलन

मामले के गुण "। यह इस तरह का तर्क नहीं है। जिसकी न्यायिक आदेश से अपेक्षा की जाती है। उच्च न्यायालय नहीं हो सकता है

कथित अपराध, जहाँ एक महिला का अपने भीतर एक अप्राकृतिक अंत हो जाता है शादी का एक साल। कथित अपराध की गंभीरता

दहेज के लिए परेशान किया गया; और यह कि एक टेलीफोन कॉल प्राप्त हुआ था मृत्यु के समय के निकट-निकटता में अभियुक्त, एक

दहेज के आधार पर आरोपित। बिना किसी कारण के आदेश है मूल रूप से उन मानदंडों के विपरीत जो न्यायिक का मार्गदर्शन करते हैं

प्रक्रिया। उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक न्याय का प्रशासन

सामान्य पाठ वाले मंत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता है अवलोकन। कि मन का विवेकपूर्ण अनुप्रयोग हुआ है

न्यायाधीश द्वारा जो धारा 439 के तहत एक आवेदन पर निर्णय ले रहा है

सी. आर. पी. सी. को तर्क की गुणवत्ता से उभरना चाहिए जो है

जमानत देने के आदेश में सन्निहित। जबकि कारण हो सकते हैं

बनो।

संक्षेप में, यह कारणों की गुणवत्ता है जो सबसे अधिक मायने रखती है। कि

ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायिक आदेश में कारण विचार को उजागर करते हैं

एक प्रशिक्षित न्यायिक मस्तिष्क की प्रक्रिया। हम करने के लिए विवश हैं

ये टिप्पणियां क्योंकि निर्णय में बताए गए कारण इस मामले में उच्च न्यायालय तेजी से परिचित हो रहा है

उन मामलों में जो इस न्यायालय में आते हैं। यह समय है कि इस तरह के अभ्यास

जमानत एक न्यायिक प्रक्रिया के साथ संगत है जो विश्वसनीयता लाती है आपराधिक न्याय का प्रशासन "।

38. उपरोक्त उद्धरण में जो देखा गया है वह समान रूप से लागू होता है।

वर्तमान मामले के तथ्य। विशन (ए-6) के मामले में उच्च न्यायालय को आदेश देने का अब कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष इस प्रश्न पर पूरी तरह से बहस की जा चुकी है। इसके अलावा, [2021] 7 एस. सी. आर. का मामला।

विशन (ए-6) को उन सभी मामलों के साथ विचार किया गया है जिनमें जमानत दी गई है-शुरू में 22 अक्टूबर 2020 को सिद्धधराजसिंह (ए-13) के मामले में, जिसका पालन अन्य अभियुक्तों के मामले में समानता के आधार पर किया गया है।

39. उच्च न्यायालय ने संजय चंद्र बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1. जबकि 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले से उत्पन्न कुछ मामलों में जमानत देने पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 21. जमानत आवेदनों में, आम तौर पर, यह प्रारंभिक समय से निर्धारित किया गया है कि जमानत का उद्देश्य उपस्थिति को सुरक्षित करना है अभियुक्त व्यक्ति अपने मुकदमे में जमानत की उचित राशि से। जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक। स्वतंत्रता से वंचित करने को एक सजा माना जाना चाहिए, जब तक कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता न हो कि कोई अभियुक्त व्यक्ति बुलाए जाने पर अपने मुकदमे का सामना करेगा। अदालतों को इस सिद्धांत के लिए मौखिक सम्मान से अधिक देना पड़ता है कि

सजा दोषसिद्धि के बाद शुरू होती है, और यह कि हर आदमी को माना जाता है

जब तक उचित रूप से मुकदमा नहीं चलाया जाता और विधिवत दोषी नहीं पाया जाता, तब तक निर्दोष होना। अदालत ने आगे विस्तार से कहा कि

" 22. शुरुआती समय से, यह सराहना की जाती थी कि मुकदमे के पूरा होने तक हिरासत में हिरासत में रखना बड़ी कठिनाई का कारण बन सकता है। समय-समय पर आवश्यकता यह माँग करती है कि कुछ निर्दोष व्यक्तियों को मुकदमे के लंबित रहने तक हिरासत में रखा जाना चाहिए।

मुकदमे में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें लेकिन ऐसे मामलों में, "आवश्यकता" ऑपरेटिव परीक्षण है। इस देश में यह संविधान में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत होगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले के संबंध में दंडित किया जाना चाहिए, जिस पर उसे दोषी नहीं ठहराया गया है या किसी भी परिस्थिति में उसे केवल इस विश्वास पर अपनी स्वतंत्रता से वंचित किया जाना चाहिए कि अगर वह स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा, सिवाय सबसे असाधारण मामले के।

परिस्थितियाँ "।

उसी समय, न्यायालय ने अपने निर्णय के पैराग्राफ 24 में मान्यता दी कि -

" 24. तत्काल मामले में, हम पहले ही देख चुके हैं कि अपीलार्थियों के खिलाफ "आरोप की उंगली" "आरोप की गंभीरता" है। आरोप लगाए गए अपराध आर्थिक अपराध हैं जो

10 2012 (1) एस. सी. सी. 40 मेश भवन राथोड बनाम। विशाणभाई हीराभाई मकवाना अकवाना (कोली) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को नुकसान हुआ है। हालांकि, वे तर्क देते हैं

कि अपीलार्थियों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है

गवाहों, उन्होंने समर्थन में कोई सामग्री नहीं रखी है

आरोप लगाएँ। हमारे विचार में, आरोप की गंभीरता, निस्संदेह, जमानत आवेदनों पर विचार करते समय प्रासंगिक विचारों में से एक है।

लेकिन यह एकमात्र परीक्षण या कारक नहीं हैः अन्य कारक जिस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वह दंड है जो दंड संहिता और दंड संहिता दोनों के तहत परीक्षण और दोषसिद्धि के बाद लगाया जा सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। अन्यथा, यदि पहली ही एकमात्र परीक्षा है, तो हम संवैधानिक अधिकारों को संतुलित नहीं करेंगे, बल्कि "न्याय के पैमाने को फिर से कैलिब्रेट करेंगे"।

महिपाल वी. राजेश कुमार उपनाम पोलिया 1 1 इस न्यायालय ने टिप्पणी की

कमियाँः

" 16. जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता का आकलन करने में अपीलीय न्यायालय की शक्ति का मार्गदर्शन करने वाले विचार एक आवेदन के मूल्यांकन से अलग आधार पर खड़े होते हैं। जमानत रद्द करना। जमानत देने के आदेश की शुद्धता का परीक्षण इस आधार पर किया जाता है कि क्या कोई अनुचित या मनमाना आदेश था।

जमानत देने में विवेकाधिकार का प्रयोग। परीक्षण यह है कि क्या जमानत देने का आदेश विकृत, अवैध या अन्यायपूर्ण है। दूसरी ओर, जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन आम तौर पर होता है पर्यवेक्षी परिस्थितियों के अस्तित्व या जमानत की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा जाँच की जाती है जिसे जमानत दी गई हो।

दिया गया है। नीरू यादव बनाम। ofU.P लिखिए। [नीरू। यादव बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 16 एस. सी. सी. 508: (2015) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 527], अभियुक्त को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।

यादव बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 16031]। आदेश के खिलाफ एक अपील में [मिठन यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 एस. सी. सी

उच्च न्यायालय की ऑन लाइन ऑल 16031], इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उन सिद्धांतों पर पूर्ववर्ती का सर्वेक्षण किया जो जमानत देने का मार्गदर्शन करते हैं। दीपक मिश्रा, जे. (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने अभिनिर्धारित कियाः (नीरू यादव मामला [नीरू यादव बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 16 एस. सी. सी. 508: (2015) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 527], एस. सी. सी. पी. 513 , पैरा 12)

" 12. ..... यह कानून में अच्छी तरह से तय है कि जमानत दिए जाने के बाद उसे रद्द कर दिया जाता है क्योंकि आरोपी ने खुद को गलत तरीके से पेश किया है या

इस तरह की कुछ पर्यवेक्षण परिस्थितियों की आवश्यकता होती है

रद्द करना एक अलग डिब्बे में हुआ है

व्यवहार करते समय ध्यान में रखा गया है जमानत के लिए आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया है, या जमानत अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है, निर्विवाद रूप से उच्च न्यायालय जमानत के इस तरह के अनुदान के आदेश को रद्द कर सकता है। ऐसा है मामला

एक अलग श्रेणी में और एक अलग क्षेत्र में है। द्वितीय प्रकृति के मामले पर विचार करते समय, न्यायालय अभियुक्त द्वारा शर्तों के उल्लंघन या बाद में हुई पर्यवेक्षण परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देता है। इसके विपरीत, यह न्यायसंगतता और दृढ़ता में तल्लीन करता है

न्यायालय द्वारा पारित आदेश "।

महिपाल (ऊपर) में, इस न्यायालय ने शासन करने वाले मानकों को रेखांकित किया

इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों में जमानत को दरकिनार करनाः

" 17. जहाँ एक अदालत जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार करने में विफल रहती है

प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए, एक अपीलीय न्यायालय उचित रूप से निर्धारित कर सकता है जमानत देने के आदेश को दरकिनार कर दें। अतः एक अपीलीय न्यायालय की आवश्यकता है कि -

विचार करें कि क्या जमानत देने का आदेश गैर-जमानती आदेश से ग्रस्त है। मन का अनुप्रयोग या प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से उत्पन्न नहीं होता है

अभिलेख पर साक्ष्य "।

इन दोनों मानकों को प्रभाकर तिवारी बनाम मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले में दोहराया गया था। U.P.[1]2 की स्थिति।

40. वे विचार जिनका अनुमोदन करने में न्यायालय के साथ विचार किया जाना चाहिए राम मामले में इस अदालत के फैसलों में जमानत तैयार की गई है।

गोविंद उपाध्याय बनाम। सुदर्शन सिंह 1,3 और प्रशांत कुमार

सरकार बनाम. आशीष चटर्जी 1 4 (पहले उल्लिखित)। इन निर्णयों के साथ-साथ संजय चंद्र (उपरोक्त) में निर्णय को इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के 19 मार्च 2021 के एक हालिया निर्णय में केरल राज्य बनाम. महेश 1 5 जहाँ

न्यायालय ने टिप्पणी कीः " 22 ... . न्यायालय द्वारा सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए

जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार करना, जिसमें इसकी गंभीरता भी शामिल है

अपराध, साक्ष्य और सामग्री जो प्रथम दृष्टया अभियुक्त अपराध में जमानत के लिए आवेदक की संलिप्तता को दर्शाती है,

(0) 11 एस. सी. सी. 648

2) 3 एस. सी. सी. 5980) 14 एससीसी 496

2021 की अंतिम अपील सं. 343 रामेश भवन राथोड v.

विशाणभाई हीराभाई मकवाना मकवाना (कोली) [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अभियुक्त अपराध में जमानत के लिए आवेदक की संलिप्तता का,

अभियुक्त के फरार होने या अन्यथा होने की संभावना

न्याय के मार्ग को विफल करना या विलंबित करना, उचित आशंका

गवाहों को धमकाया जाना या प्रभावित किया जाना या सबूत होने का

पीड़ित की सुरक्षा के लिए खतरा (यदि जीवित है),

शिकायतकर्ता, उनके रिश्तेदार, दोस्त या अन्य गवाह।

इसी तरह, अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की मंजूरी

ऊपर चर्चा किए गए उदाहरणों के अनुरूप, अलग रखा जा सकता है, जब ऐसा अनुदान दिमाग के गैर-अनुप्रयोग पर आधारित हो या इस तरह के अनुदान के लिए प्रासंगिक कारकों से निर्दोष हो।

41. जिन कारणों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, हम आए हैं।

इस निष्कर्ष पर कि प्रतिवादी को जमानत देने वाले आदेश-अभियुक्त विशन हीरा कोली (ए-6), प्रवीण हीरा कोली (ए-10), सिद्धधराजसिंह

भागुभा वाघेला (ए-13), खेत पर्वत कोली (ए-15), वनराज दर्शन कोली (ए-16) और दिनेश दर्शन अखियानी (ए-17) स्पष्ट विकृति से पीड़ित हैं। हम तदनुसार इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के निम्नलिखित आदेशों को दरकिनार करते हैं:

एस. आई. नं.

एसएलपी नं.

का नाम

आरोपित

द्वारा आदेश की तिथि

उच्च न्यायालय

आरोपित

नहीं।

1

विशन हीरा कोली

6

21 दिसंबर 2020

790

2021 का

124

6-47 2021 का

10

21 दिसंबर 2020

2

प्रवीण हीरा कोली

सिद्धधराजसिंह

13

22 अक्टूबर 2020

124

9 2021 का

3

भागुभा वाघेला

124

6-47 2021 का

4

खेता पर्बत कोली

15

21 दिसंबर 2020

19 जनवरी 2021

वनराज करशन

5

16

124

8 2021 का

कोली

20 जनवरी 2021

124

5 2021 का

17

6

दिनेश करशन

अखियानी (कोली)

42. उपरोक्त सभी अभियुक्तों को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। आदेश की प्रति तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सत्र न्यायाधीश को भेजी जाएगी।

43. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों की अनुमति दी गई

निधि जैन